बिहार राज्य आवास बोर्ड की २४१वीं बैठक

दिनांक-०३.०६.२०११

श्री प्रमोद कुमार
अनु०
3/6/11

4319
3·6·11

बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1– **श्री शशि शेखर शर्मा**, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सह अध्यक्ष, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना – अध्यक्ष

2– **अनुपम कुमार सुमन**, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना – सदस्य

3– **श्री रविनन्दन सहाय**, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना – सदस्य
(वित्त आयुक्त, बिहार, पटना के प्राधिकृत प्रतिनिधि)

4– **श्री श्याम कुमार सिंह**, सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना – सदस्य

5– **श्री मयंक भूषण पाठक**, अपर सचिव, योजना विभाग, बिहार, पटना – सदस्य

6– **श्री कुमार सर्वानन्द सहाय**, सहायक निवेशक, मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य

7– **श्री निरंजन कुमार**, मुख्य अभियंता,बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना – सदस्य

कार्यवाही

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 241वीं बैठक दिनांक–03.06.2011 को 11:00 बजे अध्यक्ष सह प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में प्रारंभ हुई।

बैठक में निम्नलिखित कार्यावलियो पर विमर्शोपरान्त निर्णय लिये गये:–

कमांक	विषय	निर्णय
	बिहार राज्य आवास बोर्ड की 240वीं बैठक, दिनांक–10.05.2.2011 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सर्वसम्मति से आवास बोर्ड की 240वीं बैठक, दिनांक–10.5.2011 के कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
1	बिहार राज्य आवास बोर्ड में संस्थागत सुधार और परियोजनाओं के विकास हेतु	सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि ट्रांजेक्शन एडवाईजर की कार्यकलापों की समीक्षा

	ट्रांजेक्शन एडवाईजर की नियुक्ति के संबंध में।	प्रत्येक तीन माह पर की जाय ।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड की परियोजनाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्लान, आर्किटेक्चरल डिजाईन एण्ड ड्राईंग कन्सलटेन्ट को सूचीबद्ध (empanelemt) करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
3	बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू–सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली 1983 के नियम 10 (2) में संशोधन एवं कार्य करने की अनुमति के संबंध में।	बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू–सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली 1983 के नियम 10 (2) में संशोधन पर सदस्यो का सुझाव हुआ कि सरकार द्वारा विकलांग के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन प्रस्ताव में विकलांग के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है। बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक–16.9.02 के ज्ञापांक में आरक्षण के लिए किये गये प्रावधान के तहत उक्त विनियमावली में निम्नलिखित संशोधन के साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। 10 (2) (क) – सामान्य – 50 प्रतिशत (ख) अनुसूचित जाति – 16 प्रतिशत (ग) अनुसूचित जन–जाति – 01 प्रतिशत (घ) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 18 प्रतिशत (ड) पिछड़ा वर्ग – 12 प्रतिशत (च) विकंलाग – 03 प्रतिशत कुल 100 प्रतिशत

4	बिहार राज्य आवास बोर्ड में अधिकारियों और कर्मचारियों की रिक्तियों को संविदा पर भरने के संबंध में।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सकंल्प संख्या–2401, दिनांक–18.07.2007 में निहित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाय।
5	बिहार राज्य आवास बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2011–12 के स्थापना/प्रशासनिक व्यय बजट के अनुमोदन के संबंध में।	अनुमोदित।

अन्यान्य – सर्वसम्मति से बोर्ड की 240वीं बैठक, दिनांक–10.05.2011 की अंगीकृत कार्यावली संख्या–09 के सबंध में निर्णय लिया गया कि एक हुंडई कम्पनी के वर्णा (Verna) पेट्रॉल मोडल का क्रय किया जाय।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बोर्ड बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

अध्यक्ष
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना

ज्ञाप संख्या– 4319 पटना, दिनांक– 03.6.11

प्रतिलिपि अध्यक्ष, बिहार राज्य आवास बोर्ड/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना/ सयुंक्त सचिव, योजना विभाग, बिहार सरकार, पटना/मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव/प्रभारी मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/हडको प्रतिनिधि, बिहार, पटना/बोर्ड के सभी पदाधिकारी (मुख्यालय)/अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/11
सचिव

O/C